187/18

[illegible] दिनांक 2/7/18
को प्रकाश में शीघ्र [illegible]
[illegible] 0222/23 [illegible] 151 [illegible]
[illegible]

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
बाहुबल (बीसवाड़ा)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादकारों की सही शक्ति मुनव्वर प्रकरण फौ० 0222/23 धारा 151 ज०दं०वि० के पेशकार वादकार सय तहरीरी प्रकार करते है इसीकारण किया जाता है कि प्रेषक वादकार सय इस प्रकार है पेशकार वादकार सय इस प्रकार का प्रपत्र श्री प्रस्तुत नहीं किये जाने के प्रपत्र वापस किया जाकर वादी अभिभाषक द्वारा सय प्रपत्र पेशकार वादकार सही वादी के अभिभाषक द्वारा सय वापसी की अधिकृत में 2382 रुपया 27 दिसम्बर 17 दिसम्बर में है इसलिए अभि रामपरिवार की सेवा में प्रस्तुत करते है प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मुरारी देव S/o अमरदेव निवासी राजपुर निवासी आहमपुर प्रकाश S/o केला प्रसाद निवासी आहमपुर 21/12/60 को पंचायत समिति के समक्ष वादकारों की सही, तथा पेशकार प्रार्थना पत्र, अंतरिम हेतु दो शुल्क है उनके साक्ष्य पर-	

सहायक अभिलेखागार एवं सहायक कलेक्टर मालपुरा (टोंक)

प्रार्थी द्वारा को परामर्श बताया गया है
पर 10/7 के कार्यालय आदेश के पश्चात
कार्यालय गया है। कार्यालय के पश्चात
से इन्हें सेवा व अधिकार के संबंधित
मिलने के संबंध में पत्रावली अग्रिम गया
है अतः विपक्षी को पक्ष में निर्देश -
निर्देश के पालन किया जाये जो विपक्ष
उपस्थित होकर अपनी बहस में बताया
कि उपस्थित नाम अन्य रजिस्टर होने
से रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता है
कार्यालय के पास पुराने रिकार्ड
अनावश्यक रूप से रेकर्ड प्रार्थी
अधिकृत होने से वेरिफाइ किया गया था
पालन एक रूप दस्तावेज हेतु उक्त
अधिनियम की जानकारी होने
के बाद अधिवक्ता रजिस्टर आवश्यक
उपयुक्त कार्यवाही है इस साथ
अपना दस्तावेज निर्माण के आधार के -
लिया गया है प्रार्थी के पास
अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं अतः

उप जिलाधीश
राजकीय कार्यालय
(पालनी) जयपुर

सहायक अभियोगी एवं
सहायक कलेक्टर
जयपुर (गोलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अधिकारिणी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खाता नं. 4525 रकबा 2.65 है० भूमि आवासीय, विवादित पक्ष के कब्जा भूमि से संबंधित है। प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पारिवारिक की नहीं है न ही उनका कब्जा है जिसके सुपुर्दगी सादी भी प्रार्थीगण के नहीं होगी। अतः विपक्षी द्वारा सादिक निशान प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। केवल कुमार चक्र नेक के कब्जे से इजराई कोई जरूरत है।	

सहायक अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner